


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


प्रकरण क्रमांक निग03127-दो/14

जिला - सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-9-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण एस.डी.ओ. द्वारा एक माह के लिए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के विरुद्ध है । उक्त आदेश दिनांक 2-7-14 को दिया गया है, जिसकी अवधि दिनांक 2-8-14 को समाप्त हो चुकी है । दिनांक 2-7-14 को आगामी तिथि दिनांक 30-7-14 नियत थी । इस दिनांक के बाद अधीनस्थ न्यायालय में क्या कार्यवाही हुई इसका कोई प्रमाण आवेदक की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश की अवधि समाप्त होने से यह पुनरीक्षण निरर्थक हो गई । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p> सदस्य</p>



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल आयुक्त महोदय ग्वालियर (म.प्र.) श्रृंखला न्यायालय  
रीवा (म.प्र.)



Rs. 10/-

1. खेतई तनय चिन्ता अहिर उम्र-70 वर्ष पेशा-खेती निवासी ग्राम-परसवार तहसील बहरी जिला-सीधी (म.प्र.)
2. ज्ञानेन्द्र कुमार यादव तनय रामप्रताप यादव उम्र-27 वर्ष पेशा-खेती निवासी ग्राम-भरुही तहसील बहरी जिला-सीधी (म.प्र.)
3. सुरेश प्रसाद यादव तनय बुद्धिसेन यादव उम्र-21 वर्ष पेशा-खेती निवासी ग्राम-भरुही तहसील बहरी जिला-सीधी (म.प्र.)

श्री. प्रतापदेव पाठेय  
द्वारा आज दिनांक 11-8-14  
प्रस्तुत किया गया

सिक्रेट ऑर्डर रीवा  
11-8-14

.....निगरानीकर्ता / आवेदकगण

बनाम

1. श्यामलाल यादव तनय खेतई यादव उम्र-45 वर्ष पेशा-खेती निवासी ग्राम-भरुही तहसील बहरी जिला-सीधी (म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन .....अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय गोपद बनास जिला-सीधी (म.प्र.) प्रकरण क्रमांक अपंजीकृत अ-74-2013-014 आदेश दिनांक-02.07.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50, म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

(निगरानी के सूक्ष्म तथ्य)

अ. यह कि आराजी ख.क्र.पुराना 149 रकवा 0.63 एकड़ से निर्मित नवीन बन्दोवस्त ख.क्र.330 रकवा 0.25 हे. स्थिति ग्राम-भरुही तहसील सिहावल वर्तमान तहसील बहरी जिला-सीधी की भूमि है उक्त भूमि आवेदक क्र.1 के भूमिहीन होने व